

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार की यह राय है कि ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार व उसके नियंत्रणाधीन कम्पनियों : (1) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., (2) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., (3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., (4) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. एवं (5) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. व इन सभी से सम्बन्धित सब-स्टेशन, ग्रिड सब-स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, राजस्थान स्टेट डिस्पैच लोड सेण्टर, प्रसारण स्टेशन व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार व उसके नियंत्रणाधीन कम्पनियों : (1) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., (2) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., (3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., (4) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. एवं (5) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. व इन सभी से सम्बन्धित सब-स्टेशन, ग्रिड सब-स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, राजस्थान स्टेट डिस्पैच लोड सेण्टर, प्रसारण स्टेशन व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को एतद्वारा दिनांक 31-05-2016 तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत "आवश्यक सेवा" घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(धनेन्द्र भान चतुर्वेदी)  
शासन संयुक्त सचिव,  
गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग

CIN : U40109RJ2000SGC016486



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
(कार्मिक विभाग)

पंजी.कार्या : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर - 302005

फोन व फॅक्स नं. : 0141-2747036

Website : www.jaipurdiscom.com

Email : cpo@jvnl.in; cpojvnl@yahoo.com

क्रमांक: जेपीडी/मु.का.अ./प.

/प्रे. 3130

जयपुर, दिनांक: 03-12-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियन्ता/उप मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता ( )  
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, .....
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी ( ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
5. कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
6. उप सचिव/सहायक सचिव ( ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, .....
7. निजीसहायक-अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
8. जन-सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
9. सूचनापट्ट।

(वी.पी. पारीक)  
मुख्य कार्मिक अधिकारी